मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964

(वर्ष 1964 का 29)

[म. प्र. शासन-वन विभाग की अधिसूचना क्र. 14334-X-64 दि. 28 नवम्बर 1964]

दिनांक 23 नवम्बर सन् 1964 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई जो "मध्यप्रदेश राजपत्र, (असाधारण)" दिनांक 28 नवम्बर, 1964 (पृष्ठ 3368) को प्रकाशित की गई-

तेन्दू पत्तों के व्यापार को लोकहित में विनियमन करके और तदर्थ उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार उत्पन्न करने हेतु उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जावे:-

धारा 1. संक्षिप्त नाम व विस्तार तथा प्रारंभ - (1) यह अधिनियम **मध्यप्रदेश तेन्दू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1964** कहलावेगा।

(2) इसका विस्तार क्षेत्र पूरा मध्यप्रदेश होगा।

[1](3) यह ऐसे क्षेत्रों में या क्षेत्र में तथा ऐसे दिनांकों को प्रवृत्त होगा, जिसे या जिन्हें राज्य शासन अधिसूचना द्वारा, उल्लिखित करे।

टिप्पणी-धारा 1

यह अधिनियम पूरे मध्यप्रदेश में दिनांक 28-11-64 से प्रवृत्त हुआ। (अधिसूचना म. प्र. शासन

1. म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 28 नवम्बर 1964 पृष्ठ 3368 द्वारा प्रवृत्त

वन विभाग क्र. 14334/X/64 दिनांक 28 नवम्बर, 1964 द्वारा जारी हुई और दिनांक 28 नवम्बर, 1964 के राजपत्र (असाधारण) में पृष्ठ क्र. 3360-3368 पर प्रकाशित हुई।

धारा 2. परिभाषायें - इस अधिनियम में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

A =(क) अभिकर्ता (Agent) से तात्पर्य धारा "4" के अधीन नियुक्त किये गये अभिकर्ता से है;

B =(ख) संहिता (Code) से तात्पर्य "मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959" (भूराजस्व संहिता, 1959) (वर्ष 1959 का 20) से है;

C =(ग) "समिति (Committee)" से तात्पर्य धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक राजस्व आयुक्त के संभाग के लिये गठित मंत्रणा समिति से है.

D =(घ) "तेन्दू पत्ता उगाने वाला" (Grower of Tendu Leaves) से तात्पर्य –

(i) (एक) उन क्षेत्रों में जो समय-समय पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) के अधीन आरक्षित एवं संरक्षित वनों के रूप में गठित किये गये क्षेत्र में उगे तेन्दू के पौधों के संबंध में राज्य शासन से है;

(ii) (दो) उपरोक्त (i) के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में उगाए गये तेन्दू के पौधों के संबंध में –

(a) राज्य शासन जहां तेन्दू का पौधा संहिता की धारा 2 के खण्ड (ब) (z-3) में परिभाषित दखल रहित भूमि पर उगाया जाय;

(b) किसी इकाई के अन्तर्गत आने वाले ऐसे खाते के यथास्थिति भूधारी या भाड़ेदार, या शासकीय पट्टाधारी या ऐसी सेवा भूमि के धारक से है जिसमें तेन्दू के पौधे उगते हों, और उसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है, जो समय-समय पर, उसके माध्यम से तेन्दू के पौधों पर हक का दावा करता हो;

(c) किसी ऐसी इकाई में जिसमें तेन्दू पत्ता उगते हों, यथास्थिति मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम, 1953 (क्र. 15 वर्ष 1953) के अधीन भूदान धारक, मध्य-भारत भूदान यज्ञ विधान, 1955 (क्र. 3, वर्ष 1955) के अधीन भूदान कृषक या भूदान पट्टेदार, विंध्य प्रदेश भूदाने यज्ञ अधिनियम, 1955 (क्र. 1 वर्ष 1956) के अधीन भूदान कृषक, तथा राजस्थान भूदान यज्ञ एक्ट, 1954 (क्र. 16, वर्ष 1954) के अधीन अनुदान ग्रहीता से है और उसमें ऐसा प्रत्येक व्यक्ति सम्मिलित है जो समय-समय पर, उसके माध्यम से तेन्दू के पौधों पर हक का दावा करता हो;

(E) "खाता" से तात्पर्य–

(एक) ऐसे भूमि खण्ड से है जिसका भूराजस्व पृथक् से निर्धारित हुआ हो और जो भूमि स्वामी द्वारा धारित हो; और

(दो) भाड़ेदार या शासकीय पट्टाधारी द्वारा धारित भूमि के संबंध में, एक ही पट्टे या एक ही साथ चलने वाली शर्तों के अधीन यथा स्थिति भूमि स्वामी या राज्य शासन से धारण किए गए भूमि खण्ड से है;

(F) "सेवा भूमि के धारक" से तात्पर्य गांव के सेवक के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूधारण करने वाले व्यक्ति से है;

(G) "शासकीय पट्टेधारी" से तात्पर्य संहिता की धारा 181 के अधीन राज्य शासन से भूमि धारण करने वाले व्यक्ति से है;

(H) "विनिर्दिष्ट क्षेत्र" (Specified Area) से तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में उल्लिखित क्षेत्र से है;

(I) "भाड़ेदार" (Tenant) से तात्पर्य संहिता के चौदहवें अध्याय के अधीन भूमि स्वामी से मौरूसी काश्तकार के रूप में धारण करने वाले व्यक्ति से है;

(J) "भूधारी" (Tennure holder) से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो राज्य शासन से भूमि धारण करता हो और जो संहिता के उपबंधों के अधीन भूमि स्वामी हो या भूमि स्वामी माना गया हो;

(K) "इकाई" (Unit) से तात्पर्य उल्लिखित क्षेत्र के उस उप-खण्ड से है जो धारा 3 के अधीन इकाई के रूप में गठित किया गया हो;

(L) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इस अधिनियम में प्रयोग में लाई गई हों, किन्तु परिभाषित न की गई हों और जो भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16, वर्ष 1927) में परिभाषित की गई हों, वही तात्पर्य होगा जो उनके लिये उस अधिनियम में दिया है।

टिप्पणी

तेन्दू पत्तों की वाणिज्यिक सामग्री (Commercial Commodity) एक अलग श्रेणी की है वह ऐसी वाणिज्यिक सामग्री से भिन्न है जो कच्चे माल की सामग्री (Raw material) होती है। अतएव तेंदू पत्तों के व्यापार को नियंत्रित एवं नियमन करने के लिए यह अधिनियम 1964 लाया गया है तेंदू पत्ता राज्य की विशाल प्राकृतिक उपज है और राज्य में तेंदू पत्ते के व्यापार का एकाधिकार यह कानून निहित करता है। यह कानून सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में नोटीफिकेशन क्र. 14334-X-64 दिनांक 28-11-1964 (राजपत्र असाधारण म. प्र. दि. 28 नवम्बर 1964 पृ. 3360) द्वारा प्रवृत्त किया गया है। इस कानून के द्वारा राज्य सरकार को तेंदू पत्तों के अन्य डीलरों से भिन्न तेंदू पत्ते के डीलर के रूप में माना जा सकता है यह न्यायोचित होगा इसलिये राज्य सरकार अन्य माल की खरीद बिक्री पर जो लेव्ही लगाती है उससे भिन्न रेट पर तेंदू पत्ते के खरीद बिक्री पर राज्य सरकार कर लगाती है इस बात की सख्ती से न्यायोचित होने के आशय से छानबीन आवश्यक नहीं है। तेंदू पत्ता अन्य कच्चे माल के समान नहीं है। उनका एक मात्र उपयोग बीडी के निर्माण में तम्बाकू की उपभोग योग्य पैकिंग सामग्री अथवा वारदाना होना प्रतीत होता है, ठीक वैसे जैसे सिगरेट के निर्माण में सिगरेट-कागज का उपयोग होता है। इस प्रकार तेंदू पत्ता वाणिज्यिक वस्तु का एक भिन्न वर्ग है और राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उन पर कच्चा माल कहलाने वाली अन्य वाणिज्यिक वस्तुओं के वर्ग से भिन्न कर विनिर्धारित करे (पैरा 15), धारा 19 स्टेट के हित में तेंदू पत्ते की मोनोपोली का सृजन करती है यह अनुच्छेद 14 संविधान का उल्लंघन नहीं है। *(अनवर खां महबूब कं.* वि. *स्टेट म.प्र. (1966) 2 सुप्रीम कोर्ट रि. (SCR) 40-* अनुसरित), धारा 8 (1) म. प्र. विक्रय कर अधिनियम 1958 के अधीन भिन्न कर लगाया जाना संविधान के विपरीत नहीं है। म. प्र. विक्रय कर अधिनियम, 1958 की धारा 8 - Rate of tax for raw material की उपधारा (1) म. प्र. संशोधन अधिनियम तथा वैधीकरण अधिनियम क्र. 23/1967 (प्रभावी दि. 21 दिसम्बर 1967) तथा संशोधन अधिनियम म. प्र. क्र. 9/1968 प्रभावी दि. 15 अप्रैल 1968 तथा संशोधन 1971 एक्ट से फिर धारा 8(1) विक्रय कर अधिनियम संशोधित की गई जो 6 मई 1971 से प्रभावी की गई।

(1) इसका परिणाम यह हुआ कि 1 अप्रैल 1959 से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या